

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

अधिसूचना क्रमांक 1660

दिनांक 01 DEC 2012

स्थान :- दन्तेवाड़ा

भा.सं.

दिनांक 05.11.2012

क्रमांक/782⁴⁵ बंधक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम 1976(1976 का संख्यांक 19 में) की धारा 13 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ओमप्रकाश चौधरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद् द्वारा जिले में बंधक श्रमिकों के विमुक्ति पुनर्वास एवं अधिनियम के उपबन्धों के कियान्वयन के प्रयोजन हेतु, जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूँ, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

उपधारा (अ) श्री नीरज कुमार बनसोड़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा अध्यक्ष ।
(जिला दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत)

उपधारा (ब)

- (1) श्री सोमरु राम परगनिहा, राजेन्द्र नगर दन्तेवाड़ा सदस्य ।
 - (2) श्री अशोक जैन, अधिवक्ता दन्तेवाड़ा सदस्य ।
 - (3) श्रीमती लता मरकाम, पार्श्व वार्ड -06 दन्तेवाड़ा सदस्य ।
- (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जिले में निवासरत जिलाध्यक्ष मनोनीत प्रतिनिधि)

उपधारा (स)

- (1) श्री भूपेन्द्र ठाकुर (एन0जी0ओ0) वन्या कतियाररास सदस्य ।
 - (2) श्री जे0एस0खुटे (खुटे दादा) हल्बारास कुआकोण्डा सदस्य ।
- (जिला दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत दो समाज सेवक जिले में निवासरत हों)

उपधारा (द)

- (1) श्री एस0 के0 राठौर कार्यपालन अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दन्तेवाड़ा सदस्य ।
 - (2) श्री एल0 एल0 ब्रिज सहायक पंजीयक, सहकारिता विभाग दन्तेवाड़ा सदस्य ।
 - (3) श्री सी0के0एरेवार कार्यपालन अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दन्तेवाड़ा सदस्य ।
- (जिले के ग्रामीण विकास से संबंधित अधिकारियों या गैर अधिशासी संस्था से संबंधित प्रतिनिधि राज्य शासन द्वारा मनोनीत)

उपधारा (ई)

- (1) श्री डी0डी0 चटर्जी शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक दन्तेवाड़ा सदस्य ।
- (जिले के वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं से जिला दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि)

No. 1971/ACB
PSEC - Labur
30/11/12

(ओमप्रकाश चौधरी)

कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग)